उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 38वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 27.02.2018

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522. 2307592, 2307542 4108184 फैक्सः 0522.4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.02.2018 को सम्पन्न हुई 38वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। —अध्यक्ष
2. श्री रवीन्द्र गोडबोले, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। —सदस्य / सचिव
3. श्री नरेन्द्र कुमार चौबे, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त विभाग) —सदस्य
4. श्री सीता राम यादव, संयुक्त सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) —सदस्य
5. श्री अभय कुमार, उप सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण) —सदस्य
6. श्री एस0एल0 मौर्या, उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) —सदस्य
7. श्री राज कमल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) —सदस्य

विशेष आमंत्री:–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री ए0के0 पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री जे0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यूपीडा।
4. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी भू–अर्जन, यूपीडा।
5. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
6. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी (उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी), यूपीडा।
7. श्री अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
8. श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
9. श्री किशोर पाण्डेय, प्रबन्धक (वित्त), यूपीडा।
10. श्री के0के0 गुप्ता, सलाहकार वित्तीय संस्थाए, यूपीडा।
11. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेंट सेल), यूपीडा।
12. श्री डी0के0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, यूपीडा।
13. श्री प्रदीप कुमार चौरसिया, सहायक अभियन्ता, यूपीडा।
14. श्री अजय गौतम, सहायक अभियन्ता, यूपीडा।
15. श्री शफीक अहमद, सहायक अभियन्ता, यूपीडा।
16. श्री शरद तिवारी, सलाहकार (विधि), यूपीडा।
17. श्री जय कुमार, मुख्य सुरक्षा अधिकारी–प्रथम, यूपीडा।
18. श्री रमेश चन्द्र दुबे, मुख्य सुरक्षा अधिकारी–द्वितीय, यूपीडा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का स्वागत करते हुये उन्हें अवगत कराया गया, कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के स्तर पर 4 प्रमुख उपलब्धिया हुई है, जिसके लिये निदेशक मण्डल को बधाई ज्ञापित की जाती है:–

प्रथम– आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु रू0 500 करोड़, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु रू0 1000 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के प्रारम्भिक कार्य हेतु रू0 550 करोड़, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के प्रारम्भिक कार्य हेतु रू0 650 करोड़। इस प्रकार इस बजट में इस वर्ष कुल रू0 2700 सौ करोड़ आवंटित हुये। द्वितीय– उपलब्धि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आर0एफ0क्यू0 फाइनल हो गया है एवं आर0अफ0पी0 में आ गये है। तृतीय– उपलब्धि यह है, कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है, एवं शीघ्र ही संरेख को अंतिम रूप दे दिया जायेगा। चतुर्थ– उपलब्धि यह रही है, कि देश में दो डिफेन्स कॉरिडोर बनने है, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश में बनना है, एवं यह कार्य यूपीडा को दिया गया है। निदेशक मण्डल में इस सम्बन्ध में आज एक प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 38वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया एवं एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 1:–

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.01.2018 को सम्पन्न हुई 37वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

कार्यवाही/निर्णय:–

निदेशक मण्डल द्वारा 37वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 2:–

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.01.2018 को सम्पन्न 37वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया:–

कार्यवाही/निर्णय:–

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.01.2018 को सम्पन्न हुई 37वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संस्तुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 3:–

'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर चार 'फ्यूल स्टेशन्स' स्थापित किये जाने हेतु 'ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों' के चयन के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर चार स्थानों पर वे–साइड अमेनिटीज़ का प्राविधान किया गया है, जिनमें कार/बस/ट्रक पार्किंग, पार्क, व्यवसायिक क्षेत्र (दुकानें), ढाबा/रेस्टोरेन्ट, मोटल, वाहन रिपेयर दुकानों आदि के साथ 'फ्यूल स्टेशन्स' का भी प्राविधान किया गया है।

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि प्रथम चरण में 'फ्यूल स्टेशन्स' के लिये कम्पनियों के चयन हेतु ई–टेण्डर पोर्टल के माध्यम से सरकारी एवं निजी ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों से ई0ओ0आई0 आमंत्रित की गयी थीं, जिसके क्रम में मे0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, मे0 भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 तथा मे0 रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि0 द्वारा ई0ओ0आई0 प्रस्तावों को 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 28.11.2017 में खोला गया था। प्राप्त ई0ओ0आई0 प्रस्तावों के आधार पर 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 11.12.2017 में सरकारी एवं निजी ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों से कम्पनी ओन्ड कम्पनी आपरेटेड (कोको) पद्धति पर 'फ्यूल स्टेशन्स' स्थापित करने हेतु कम्पनियों के चयन सम्बन्धित निविदा तैयार करने के लिये अर्हतायें निर्धारित की गयीं थीं। तदनुसार उक्त निर्धारित अर्हताओं के आधार पर 'निविदा मूल्यांकन समिति'

द्वारा अनुमोदित निविदा अभिलेख (आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0) को ई–टेण्डर पोर्टल के माध्यम से दिनांक 17.01.2018 को प्रकाशित कर 'तकनीकी प्रस्ताव' एवं 29 वर्ष 11 माह की अवधि के लिये प्रतिमाह जीएसटी सहित लीज रेन्ट (प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि सहित) हेतु 'वित्तीय प्रस्ताव' (जो रुपये 1.00 लाख से कम न हों) आमंत्रित किये गये थे।

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि प्राप्त निविदाओं को 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 17.02.2018 में इच्छुक ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ऑनलाइन खोला गया था। 'निविदा मूल्यांकन समिति' द्वारा चारों ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों से प्राप्त निविदाओं के तकनीकी प्रस्तावों को अर्ह पाते हुए उनके वित्तीय प्रस्तावों को उसी दिन इच्छुक ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ऑनलाइन खोला गया था।

तदनुसार 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 17.02.2018 में ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्तावों के अनुसार विभिन्न फ्यूल स्टेशन्स हेतु प्राप्त निम्नवत् अधिकतम वित्तीय प्रस्ताव (मासिक लीज रेन्ट–जीएसटी सहित) प्रस्तुत करने वाली ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों को चयनित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

क्र. सं.	फ्यूल स्टेशन का विवरण	ऑयल मार्केटिंग कम्पनी का नाम	प्रति माह लीज रेन्ट (जीएसटी सहित) प्रतिवर्ष 5% वृद्धि सहित
1	चैनेज 101+200 ग्राम–मोहब्बतपुर, तहसील–करहल, जनपद–मैनपुरी पर स्थित फ्यूल स्टेशन	मे0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0	रुपये 10,97,400.00 (रुपये दस लाख सन्तानवे हजार चार सौ) मात्र
2	चैनेज 104+300 ग्राम–बरौली कलॉ, तहसील–सैफई, जनपद–इटावा पर स्थित फ्यूल स्टेशन	मे0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0	रुपये 10,97,400.00 (रुपये दस लाख सन्तानवे हजार चार सौ) मात्र
3	चैनेज 217+900 ग्राम–गुजेपुर, तहसील–बिल्हौर, जनपद–कानपुर नगर पर स्थित फ्यूल स्टेशन	मे0 रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि0	रुपये 10,08,000.00 (रुपये दस लाख आठ हजार) मात्र
4	चैनेज 227+100 ग्राम–सिरधरपुर गैर एहत माली, तहसील–सफीपुर, जनपद–उन्नाव पर स्थित फ्यूल स्टेशन	मे0 रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि0	रुपये 12,00,000.00 (रुपये बारह लाख) मात्र

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 17.02.2018 में लिये गये निर्णयानुसार 'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर चार स्थानों पर फ्यूल स्टेशन्स स्थापित करने हेतु प्राप्त अधिकतम वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों को उपरोक्तानुसार चयनित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा चयनित कम्पनियों को 'लेटर आफ अवार्ड' जारी करने, उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित करने तथा चयनित ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों को फ्यूल स्टेशन्स हेतु 'जहां है, जैसा है' आधार पर भूमि हस्तांतरित किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को प्राधिकृत करने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 4–

अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का अनुमोदन।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया, कि यूपीडा में संविदा पर कार्य हेतु राजयकीय सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है, एवं समय–समय पर उनकी सेवाओं की आवश्यकता की दृष्टिगत सेवाकाल बढ़ाया जाता है। उपरोक्त कर्म में 11 संविदा कर्मियों का कार्यकाल बढाया गया है, एवं एक अवकाश प्राप्त पुलिस उपाधीक्षक को संविदा पर 6 माह के लिये नियुक्त किया गया है। यह प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है, कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग कार्य हेतु नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के परिवेक्षण हेतु कन्ट्रोल रूम की स्थापना के साथ दो अवकाश प्राप्त पुलिस

उपाधीक्षको को संविदा पर मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पद नाम से नियोजित किया गया है, यह भी अवगत कराया गया है, कि टोल प्रारम्भ होने के बाद दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की घटनायें बढ़ रही है, जिसमे टोल भुगतान न करने वालों के साथ टोल प्लाजा कर्मियों से विवाद, सड़क दुर्घटनाओं एवं विभिन्न प्रकार की घटनाओं में स्थानीय पुलिस के साथ कार्यवाही का समन्वयन स्थापित करने के लिये प्रत्येक पी0आई0यू0 क्षेत्र हेतु एक–एक पुलिस निरीक्षक को संविदा पर सुरक्षा अधिकारी पद नाम से नियोजित किया जाना है, अभी 5 सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

कार्यवाही / निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा अधिष्ठान के उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 5:–

मा0 उच्चतम न्यायालय में Caveat दाखिल करने के सम्बन्ध में।

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे से सम्बन्धित राष्ट्रीय हरित ट्रियूबनल में चल रहे वाद निखलेश सिंह बनाम भारत सरकार (OA135/2016) में दिनांक 10.01.2018 को मा0 ट्रियूबनल द्वारा उक्त वाद को अंतिम रूप से सरकार के पक्ष में निस्तारित कर दिया। उक्त के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त श्री प्रकाश नरायन टण्डन द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में Caveat दाखिल किया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने यह निर्देशित किया की याचिका में रिटकर्ता कौन है? पता कर लिया जायें एवं प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करते हुये नियमित अनुश्रवण भी किया जायें।

कार्यवाही / निर्णयः– उपरोक्त से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल ने कृत कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त की।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या0 6:–

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड में आगरा से चित्रकूट के बीच के क्षेत्र में डिफेन्स कॉरिडोर की स्थापना।

उपरोक्त पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डलक के सदस्यों को अवगत कराया गया, कि माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार ने अपने बजट भाषण दिनांक 1 फरवरी, 2018 में यह घोषणा की थी, कि भारत सरकार देश में रक्षा उद्योग के उत्पादन के लिए दो गलियारे विकसित करने के लिये कदम उठायेगी। सरकार अद्योग अनुकूल रक्षा उत्पान नीति, 2018 का पदार्पण करेगी ताकि सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सूक्ष्म लधु और मध्यम उद्यगों द्वारा घरेलू उत्पादन को बढावा दिया जा सकें। उपरोक्त के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन एवं रक्षा मंत्री भारत सरकार के साथ 2 फरवरी, 2018 को इस विषय पर चर्चा हुई एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 5 फरवरी, 2018 को माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार को एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जिसमें उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड में आगरा से चित्रकूट के बीच का क्षेत्र डिफेन्स कॉरिडोर की स्थापना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। यह कार्य राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के द्वारा इसी वर्ष प्रारम्भ किया जाएगा।

कार्यवाही / निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों ने यूपीडा द्वारा अग्रिम कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुये अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या0 7:–

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के विस्तृत आगणन का वित्त व्यय समिति द्वारा परीक्षण।

मुख्य अभियन्ता द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया, कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की रूपरेखा में कतिपय संशोधनों को पूर्व में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग के परीक्षणोपरान्त अनुमोदित लागत में समाहित करते हुए संशोधित परियोजना के आठों पैकेजों के सिविल कार्यों की आगणित लागत रू0 13983.57 करोड़ (01 प्रतिशत लेबर सेस एवं [illegible]

सम्पूर्ण लागत रू0 24627 करोड़ सूचित की गई थी। तत्पश्चात् प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा माह अगस्त, 2017 में सिविल निर्माण कार्य की मूल्यांकित लागत रू0 13193 करोड़ (01 प्रतिशत लेबर सेस एवं एटीएमएस सहित) मूल्यांकित की गई थी।

कार्यवाही/निर्णयः– उपरोक्त पर चर्चा उपरान्त आगणित लागत कम होने पर निदेशक मण्डल द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई एवं प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या0 8:–

यूपीडा में गतिमान विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं हेतु तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता, स्टाफ के मुख्यालय का निर्धारण तथा फील्ड स्टाफ को अनुमन्य भवन, वाहन, फर्नीचर आदि का निर्धारण।

इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया एवं निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया की उपरोक्त प्रस्तावित पी.आई.यू. मुख्यालयों पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान करना चाहे एवं प्रत्येक पी.आई.यू. में तकनीकी व अन्य सहायक स्टाफ को तैनात करने, लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु, स्थानान्तरित करने आदि के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत करना चाहें।

प्रस्ताव पर विचार करते हुये निदेशक मण्डल द्वारा अपेक्षा की गई कि यूपीडा के वर्तमान स्टॉफ एवं भविष्य की आवश्यकता के दृष्टिगत एक पूर्ण प्रस्ताव भी तैयार कर लिया जायें, जिसे शासन से भी अनुमोदित करा लिया जाये। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अवगत कराया कि वर्तमान में सभी तकनीकी स्टॉफ लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्त पर है, उनके लिये स्थाई पदो के स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है एवं सहायक स्टॉफ भी आउटसोर्सिंग से लिया जाता है, जो यूपीडा के अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही यह भी प्रस्तावित किया गया कि अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में शासन के दो नामित प्रतिनिधियों (उद्योग विभाग एवं वित्त) मुख्य अभियन्ता, यूपीडा को सदस्य बनाते हुये आवश्यक स्टॉफ का आंकलन तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाये।

कार्यवाही/निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों ने प्रस्तुत प्रस्ताव एवं यूपीडा द्वारा अग्रिम कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुये अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या0 9:–

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कियान्वयन हेतु अथॉरिटी इंजीनियर का चयन।

प्रस्तावित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लम्बाई 340.824 किमी है। यह एक वृहद परियोजना है जिसके निर्माण हेतु परियोजना को 08 पैकेजो मे विभक्त किया गया है। अतः निर्माण कार्यों के सुपरविजन हेतु 02 पृथक अथॉरिटी इंजीनियर का चयन, क्रमशः पैकेज सं0– 01 से 04, मुख्यालय–लखनऊ एवं पैकेज सं0–05 से 08, मुख्यालय–सुलतानपुर हेतु किया जाना प्रस्तावित है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने प्रस्तावित किया कि पैकेज सं0–05 से 08 के अथॉरिटी इंजीनियर का 01 नोडल अधिकारी, जो डिप्टी टीम लीडर स्तर का हो, लखनऊ स्थित पैकेज सं0–01 से 04 के अथॉरिटी इंजीनियर के लखनऊ कार्यालय में भी रहेगा। यह व्यवस्था दोनों अथॉरिटी इंजीनियर के कार्यों में समानता/एकरूपता सुनिश्चित करने के दृष्टि से होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु अथॉरिटी इंजीनियर का चयन आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना की चयन प्रक्रिया के अनुरूप एवं भूतल एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। अथॉरिटी इंजीनियर के चयन हेतु दि0 19.02.2018 को निविदा सूचना प्रकाशित की गई है एवं चयन ई–टेण्डर द्वारा किया जायेगा। अथॉरिटी इंजीनियर के चयन हेतु टी0ओ0आर0 (TOR) व सेवा शर्तों का विवरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि अथॉरिटी इंजीनियर पर व्यय परियोजना के आगणन में प्राविधानित सुपरविजन चार्जेज के अन्तर्गत रहेगा।

कार्यवाही/निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल ने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या0 10:–

मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन दिनांक 27.02.2018 तक संलग्न 1–4 पर स्थापित।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने विधि सलाहकार से जानना चाहा की कितने प्रकरणों में प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना शेष है, विधि परामर्शी द्वारा अवगत कराया की 4 प्रकरणें में प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है। उक्त पर उन्हें निर्देशित किया की एक सप्ताह में सभी ऐसे प्रकणों में प्रतिशपथ पत्र यथाशीघ्र प्रस्तुत कर दिया जायें।

कार्यवाही/निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल ने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या0 11:–

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग कार्य के लिये 15 इनोवा वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया, कि वर्तमान में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग कार्य हेतु 10 इनोवा वाहन किराये पर लगा कर पेट्रोलिंग का कार्य कराया जा रहा है, औसत रूप से रू0 1.4 लाख से अधिक का व्यय प्रत्येक वाहन प्रतिमाह आ रहा है। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है, कि जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से 15 इनोवा वाहन क्रय करते हुये संविदा/आउटसोर्सिंग पर वाहन चालक नियुक्त कर पेट्रोलिंग कार्य कराया जाये जिससे वित्तीय बचत होने के साथ पेट्रोलिंग कार्य में भी गुणात्मक वृद्धि होगी। इस पर वित्तीय विभाग ने परामर्श दिया की शासन से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होगा। इस समबन्ध में निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया की शासन के पत्र संख्या–454/77–3–18–110 (एम)/17 दिनांक 01 फरवरी 2018 को 26 इनोवा वाहन क्रय की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

कार्यवाही/निर्णयः– प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल ने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल को यूपीडा की स्थानीय लेखा परीक्षा अप्रैल 2016 से जुलाई 2017 की रिपोर्ट सदस्यों को अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई एवं प्रमुख आपत्तियों पर स्पष्टीकरण एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराया:–

Para 1: में यह आपत्ति की गई है, कि टोल प्लाजा प्रारम्भ करने में विलम्भ हुआ, जिसकी वजह से टोल कलेक्शन देर से प्रारम्भ हो सका एवं आय में रू0 124.94 करोड़ की हानि हुई जब की वस्तुस्थिति यह थी की टोल प्लाजा का निर्माण पूरा होते ही टोल संग्रह विषयक शासनादेश दिनांक 15 जनवरी, 2018 को निर्गत हुआ है एवं शासनादेश प्राप्त होते ही 19 जनवरी, 2018 के मध्यरात्रि से टोल संग्रह प्रारम्भ कर लिया गया है।

Para 2: में एक्सप्रेसवे हेतु भूमि क्रय में अतिरिक्त भुगतान कृषिकों को किया जा चुका है। उसकी रिकवरी हेतु यूपीडा से आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हुये अतिरिक्त भुगतान के रिकवरी हेतु तहसीलदारों को जनपद नामित कर दिया गया है एवं उन्हें सम्बन्धित जनपदों में निरन्तर रिकवरी की कार्यवाही संचालित करनी है, एवं समय–समय पर निदेशक मण्डल की बैठकों में रिकवर की गई धनराशि की सूचना निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

Para 3: यूपीडा में सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति यूपीडा द्वारा अपने स्तर पर स्वयं की गई है, एवं शासन से अनुमोदन नहीं लिया गया है, इस सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक ने निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया की भविष्य में ऑडिटर के चयन उपरान्त शासन से भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

Para 4: यूपीडा के कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी वर्तमान प्रक्रिया पर आपत्ति की गई है, उक्त पर वित्त नियंत्रक द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया की अब शासनादेशों में राजकीय कर्मियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी नियमों को पूर्ण रूप से लागू किया जा चुका है। लेखा परीक्षा में यह आपत्ति भी की गई थी, कि यूपीडा द्वारा अपनी धराशि बैंकों में बचत खातों में जमा की जा रही है, जब की इसे स्वीप अकाउन्ट में रखने से अधिक ब्याज मिलता है, उक्त पर वित्त नियंत्रक ने निदेशक मण्डल को अवगत कराया, कि अभी तक यूपीडा को शासन से धनराशि बजट के रूप में प्राप्त होती है। जिसके ब्याज को भी वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दिया जाता है। अब जब यूपीडा को अपने स्त्रोतों से (टोल द्वारा) आय प्राप्त हो रही है, तो यह धनराशि सीधे इलाहबाद बैंक में जमा की जा रही है एवं इस अकाउन्ट को स्वीप अकाउन्ट में परिवर्तित कर लिया जायेगा।

माह अप्रैल 2016 से जुलाई 2017 तक की अवधि हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के भाग II A के Para-03 द्वारा आपत्ति की गयी है कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के कार्यों की गुणवत्त के आडिट हेतु नियुक्त किये गये वाह्य तकनीकी आडिटर, RITES Ltd. को यूपीडा द्वारा भुगतान किया गया है जबकि इस धनराशि की कटौती ठेकेदार के बिल से की जानी चाहिए थी।

इस सम्बन्ध में निदेशक मण्डल को मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबन्ध के अनुसार एक्सप्रेसवे के कार्यों की 04 स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण/अनुश्रवण का प्राविधान है।

स्तर 1–एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री तथा कार्यों के परीक्षण हेतु ठेकेदार द्वारा एक पूर्ण सुसज्जित (Well Equipped) लैब तथा सम्बन्धित कर्मचारियों की व्यवस्था किया जाना।

स्तर 2–अथारिटी इंजीनियर द्वारा स्वयं की उपस्थिति में न्यूनतम 20 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण (Inspection) तथा आवश्यक परीक्षण (Test) किया जाना। परीक्षण पर व्यय का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाता है जबकि अथारिटी इंजीनियर की सेवा हेतु गठित एक अलग अनुबन्ध के अन्तर्गत यूपीडा द्वारा भुगतान किया जाता है।

स्तर 3–समय समय पर अथारिटी द्वारा भी कार्यों की जांच (Inspection) एवं परीक्षण (Test) किया जाना। परीक्षण की लागत का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाता है।

स्तर 4– कार्यों की गुणवत्ता परीक्षा (Audit) हेतु वाह्य तकनीकी आडिटर, RITES Ltd. की नियुक्ति की गई है। अनुबन्ध के अनुसार कार्यों के गुणवत्ता परीक्षण (Test) का समस्त व्ययभार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना है तथा RITES Ltd. की सेवा हेतु यूपीडा द्वारा भुगतान किया जाना है क्योंकि वाह्य तकनीकी आडिटर या अथारिटी इंजीनियर की सेवा हेतु भुगतान ठेकेदार का दायित्व नहीं है।

अंत में उप मुख्य कर्यपालक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.02.2018 को सम्पन्न हुई 38वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, पत्रावली में दिनांक 28 फरवरी, 2018 को अनुमोदित किये गये है।

(रवीन्द्र गोडबोले)
आई0ए0एस0
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी